क्रम-संख्या–193 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 4 अक्टूबर, 2022

आश्विन 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 511 / 79-वि-1–2022-2-क-8-2022

लखनऊ, 4 अक्टूबर, 2022

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022) जिससे पंचायतीराज अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022)

[भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''अन्यून दो-तिहाई'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''अन्यून दो-तिहाई'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 511/LXXIX-V-1–2022-2-ka-8-2022
Dated Lucknow, October 4, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats tatha Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 8 of 2022) promulgated by the Governor. The Panchayati Raj Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2022

(U.P. ORDINANCE NO. 8 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam 1961.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022.

Amendment of section 15 of U.P. Act no. 33 of 1961

2. In section 15 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act),-

(a) in sub-section (11), *for* the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (13), *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted.*

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act,-

(a) in sub-section (11), *for* the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (13), *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted.*

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 575 राजपत्र–2022–(934)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 69 सा0 विधायी–2022–(935)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।